राजस्थान सरकार
निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
डॉ0 एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-पंचम, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
☎ :- 0141-2708836 फैक्स नम्बर : 2709025, 2701445
E-mail : dir-lit-rj@nic.in.

साक्षर भारत

क्रमांक पं. 13(28)सांख्यिकी/2018/7771-7899 दिनांक : 22-1-19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त।

विषय :– ग्राम पंचायत स्तरीय साक्षरता केन्द्र प्रभारी के रूप में नियुक्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन के क्रम में ।

प्रसंग :–प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज, (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प–13(28)सांख्यिकी/2018/3115–3550 दिनांक 16.07.18 एवं विशिष्ठ शासन सचिव का पत्र दिनांक 31.12.2018 व निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्रांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/विविध/बो–2/2018/193 दिनांक 07.01.2019।

विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्रों के द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को साक्षरता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन, नियमित मोनिटरिंग हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित साक्षरता केन्द्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रमुख शासन सचिव महोदय के उक्त आदेश द्वारा इन्हें साक्षरता कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने तथा अब तक संचालित विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों में संधारित सामग्री/रिकार्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

इस क्रम में इस कार्य को प्रभावी ढ़ंग से संपादित करने के लिये समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

1. पूर्व में संचालित योजना **''साक्षर भारत कार्यक्रम''** 31 मार्च 2018 को पूर्ण हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर **''लोक शिक्षा केन्द्र''** स्थापित किये गये थे। इन केन्द्रों पर पूर्व योजनाओं एवं साक्षर भारत कार्यक्रम में संकलित की गयी अनेक प्रकार की सामग्री यथा:– फर्निचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकें, टी.वी. एवं कम्प्यूटर प्रमुख है। वर्तमान में इस केन्द्र का प्रभार ग्राम पंचायत के सचिव (परिवर्तित पदनाम ग्राम विकास अधिकारी) के पास है। अतः इस केन्द्र का प्रभार ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तत्काल प्राप्त कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करें।
2. साक्षर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित लोक शिक्षा केन्द्रों पर नव साक्षरों को पुस्तकालय एवं वाचनालय के माध्यम से लाभान्वित किया जाता था। ये कार्य पूर्व में अंशकालिक रूप से संविदा पर रखें गये प्रेरको के द्वारा किया जाता था, जो 31 मार्च 2018 को योजना बन्द होने के कारण वर्तमान में कार्यरत नहीं है, अतः इन केन्द्रों पर संधारित पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री के माध्यम से नव साक्षरों को लाभान्वित करने का कार्य अब पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना है। अतः समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) अपने विद्यालय में साक्षरता केन्द्रों का संचालन कर उसमें पूर्व संधारित पुस्तकों से पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधाऐं प्रदान कर नवसाक्षरों को

www.rajteachers.com

22/1/19

लाभ पहुँचाने एवं इन केन्द्रों से जुडें रखने के लिये अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार नवाचार युक्त गतिविधियों का संचालन सुनिश्चत करें।

3. भविष्य में स्थायी रूप से इन ग्राम पंचायत स्तरीय साक्षरता केन्द्रों का संचालन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में विद्यालय परिसर में ही किया जाना है।
4. जिला स्तर पर आपकी अध्यक्षता में एवं ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित आगामी बैठक में संबंधित अधिकारीयों का आमुखीकरण कर मासिक बैठकों में साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन एवं साक्षरता संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा एवं सतत् मॉनिटरिंग की जावें।
5. समस्त शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय निरीक्षण एवं फील्ड विजिट के दौरान इन साक्षरता केन्द्रों का भी निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने के निर्देश जारी करावें।

अतः उपरोक्तानुसार साक्षरता केन्द्रों का प्रभार हस्तानान्तरण करवाने, उनका नियमित संचालन तथा साक्षरता केन्द्रों को सक्रिय एवं प्रभावी रूप से उपयोगी बनाने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करते हुये, इस पुनीत कार्य में अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज कर समस्त ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर से क्रियान्विति की रिपोर्ट अविलम्ब भिजवायें।

22/1/19

(प्रेमाराम परमार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक पं. 13(28)सांख्यिकी/2018/7771-7899 दिनांक : 22-1-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति, जिला समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत स्तरीय लोक शिक्षा केन्द्रों का प्रभार पंचायत साक्षरता केन्द्र प्रभारी पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को हस्तानान्तरित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अपने जिले के लोक शिक्षा केन्द्रों का चार्ज ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को हस्तान्तरित करवाना सुनिश्चित करते हुये इन केन्द्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित कर 15 दिवस में समस्त ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर से क्रियान्विति की रिपोर्ट प्राप्त कर अवगत करावें।
4. सहायक निदेशक, मुख्यालय।

22/1/19
अतिरिक्त निदेशक